

सेवा में

91

श्रीमान विपिन उमादी महोदय

बिर्सागिरी

2024/470 ✓

प्रार्थना :- सुनीला कुशी शंकरलाल धाकड़ नि. गिरधरपुरा

विषय :- जमाखती में नाम सुदृष्टकरण करने काबत ।

अवेदन की

उपरोक्त विषयान्वित निवेदन है कि ग्राम

गिरधरपुरा में जमाखती खाता संख्या 92,93 में मुझ
पक्षी का नाम संतरा कुशी शंकरलाल धाकड़ दर्ज हो रखा
है जबकि मेरा वास्तविक नाम सुनीला कुशी शंकरलाल
धाकड़ है । मेरे दस्तावेज में भी सुनीला कुशी शंकरलाल
है । संतरा कुशी शंकरलाल राफख रेकर्ड में गलत दर्ज
हो गया है । अतः श्रीमान ने निवेदन कि मुझ पक्षी का
नाम राफख रेकर्ड में संतरा कुशी शंकरलाल से बदल
सुनीला कुशी शंकरलाल धाकड़ दर्ज करवाने की हुपा है ।

Sumita

प्रार्थना

सुनीला कुशी शंकरलाल धाकड़

नि. गिरधरपुरा

mob. 7568704017

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, विजौलिया
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान पंचायत समिति, विजौलिया

--आदेश--

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सलवारिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-2007 विनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गिरधरपुरा, तहसील विजौलिया जिला बीकानेर की जमावन्दी सन्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 92, 93 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि का संदर्भ रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	<u>गिरधरपुरा</u> पटवार <u>लाला सलवारिया</u>	(i) <u>92</u> (ii) <u>93</u>	<u>संतरा पुत्री</u> <u>शंकरलाल</u>	<u>सुनीता कुमारी</u> <u>पुत्री शंकरलाल</u> <u>धाकड़</u>



(3)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर, विजौलिया

दिनांक :- 9/1/24

दिनांक :- 21/12/2024

तहसीलदार, विजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद प्रविष्टि किया जाकर मूलना रिपोर्ट भिजवाये।
प्रार्थी श्री सुनीता पुत्री शंकरलाल धाकड़ को सूचनार्थ।
पटवारी



(3)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर, विजौलिया